कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद/खाद्य सुरक्षा/आवंटन/2015-16/1248-60 दिनांक : 26/06/2015

उप आवण्टन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

इस कार्यालय के उपावंटन आदेश क्रमांक एफ 32 (1) रसद/खा.सु./आवंटन/ 2014-15/2184-2201 दिनांक 09/12/2014 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह जनवरी एवं फरवरी-2015 के लिए खाद्यान्न का उपावंटन जारी किया गया था। इसी प्रकार उपावंटन क्रमांक एफ 32 (1) रसद/खा.सु./आवंटन/ 2015-16/1014--1030 दिनांक 13/05/2015 द्वारा माह जून, 2015 के लिए खाद्यान्न का उपावंटन जारी किया गया था। उक्त आवंटन खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं एपीएल से चयनित पात्र परिवारों हेतु जारी किया गया था। नगर परिषद बांसवाडा द्वारा पात्र परिवारों के चयन का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं चयनित परिवारों की वार्डवाईज सूचियां प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नगर परिषद बांसवाडा क्षेत्र के एपीएल से चयनित पात्र परिवारों को गेंहूं का वितरण नही कराया गया था। उक्त जनवरी, फरवरी एवं जून 2015 माहों मे नगर परिषद बांसवाडा के उचित मूल्य दूकानदारों को एपीएल से चयनित पात्र परिवारों हेतु गेंहूं उपलब्ध नहीं करवाया गया था। आज दिनांक 26.06.2015 को नगर परिषद बांसवाडा द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में एपीएल से चयनित पात्र परिवारों की वार्डवाईज सूचियां प्रस्तुत किये जाने से इन परिवारों के लिए **माह जनवरी एवं फरवरी 2015 दो माहों के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसवाडा के पास उपलब्ध स्टॉक में से निम्नानुसार गेंहूं आवंटित किया जाता है:-**

ए पी एल से चयनित पात्र परिवार	युनिट	आंवटन (एम.टी.)		
		जनवरी	फरवरी	योग
7974	33956	170	170	340

उक्त गेहूं का वितरण नगर परिषद बांसवाडा के ए पी एल से चयनित पात्र परिवारो को 30 जून 2015 तक किया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता इस अवधि में गेहूं लेने से वंचित रहता है तो उसे माह जुलाई 2015 के उपभोक्ता सप्ताह में जुलाई के आवंटन के साथ वितरण किया जावेगा।

इस सम्बन्ध में निम्ननुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :-

1. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को **2 रू. प्रति किलोग्राम** की दर से प्रति व्यक्ति **(प्रति युनिट) 5 किलोग्राम** गेहूं वितरण किया जावेगा।
2. थोक विक्रेता को उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहूं की सूची पृथक से दी जा रही है। इसके अनुरूप ही खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. गेहूँ का वितरण कार्य **नये डीजिटल राशन कार्ड** के आधार पर ही किया जावेगा।
4. थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति नहीं की जावेगी।
5. प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावें कि उनके द्वारा आंवटित खाद्यान्न का उठाव अविलम्ब **कर 30 जून 2015 तक** उपभोक्ताओं को वितरण करें।
6. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
7. प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा थोक विक्रेता से प्रतिदिन वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं का भौतिक सत्यापन करेंगे। साथ ही गेहूं वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय - समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
8. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावें।
9. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
10. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावें। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।

11. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाडा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
4. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा।
5. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
7. उपनिदेशक सूचना प्राद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
8. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा।
9. **प्रर्वतन अधिकारी, बांसवाड़ा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।**
10. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
11. क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा।
12. समस्त उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा को द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के पालनार्थ ।
13. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी,
बाँसवाड़ा